

उत्तर रेलवे

कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे/ जगाधरी वर्कशॉप
दिनांक- 24.12.2020

पत्र संख्या- 803-E/MPP/HRMS/JUDW-KLK

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि० खंड० अभियंता,
जगाधरी - कालका वर्कशॉप

विषय- HRMS मॉड्यूल द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के लिए PRCP (Post Retirement Complementary Pass) /WIDOW Pass, Online जारी करने के सम्बंध में दिशा निर्देश।
सन्दर्भ पत्र: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या-PC-VII/2020/HRMS/6(Pt.) New Delhi दिनांक:22.12.2020.


रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS) द्वारा विकसित (HRMS) मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के अंतर्गत ई-पास मॉड्यूल भारतीय रेलवे में सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के द्वारा उपयोग के लिए PRCP (Post Retirement Complementary Pass) /Widow Pass की एक नई सुविधा का शुभारंभ दिनांक 26.11.2020 को रेलवे बोर्ड के CRB & CEO द्वारा किया गया।

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा 1 जनवरी 2021 से भारतीय रेलवे के सभी पेंशनभोगी /विधवाओं के लिए (PRCP/WIDOW) पास उपलब्धता के संबंध में सभी आवेदन अनुरोध एचआरएमएस के संबंधित मॉड्यूल के माध्यम से ही किए जाएंगे।

HRMS मॉड्यूल से ऑनलाइन PRCP (Post Retirement Complementary Pass) /WIDOW पास प्राप्त करने के दिशा निर्देश चरणबद्ध बिन्दुवार बनाए गये हैं, जो कि संलग्न "क" में दिए जा रहे हैं।
कृपया इसका व्यापक प्रचार- प्रसार सभी कर्मचारियों/ सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के बीच करें, ताकि उनको ऑनलाइन PRCP/WIDOW Pass प्राप्त करने में असुविधा ना हो।

नोट: पेन्शनर्स / विडो को PRCP/WIDOW पास लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो हित विभाग में इन मोबाइल नंबर- 9634067538, 8178125515, 9729530451 से संपर्क करें।

संलग्न/- "क"



(राजीव बजाज)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी,
उत्तर रेलवे /जगाधरी वर्कशॉप

प्रतिलिपी/ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. मुख्य कारखाना प्रबंधक को सूचनार्थ हेतु।
2. सचिव एन आर एम यू (यांत्रिक एवं विधुत) जगाधरी वर्कशॉप एवं कालका वर्कशॉप।
3. सचिव यू आर एम यू (यांत्रिक एवं सामान्य) जगाधरी वर्कशॉप एवं कालका वर्कशॉप।
4. सचिव एस सी/ एस टी और ओ बी सी असोसियेशन जगाधरी वर्कशॉप एवं कालका वर्कशॉप।
5. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक /इंचार्ज जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप
6. कंपनी कमांडर रेलवे सुरक्षा बल।
7. सभी नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु।
8. www.pdisjudw.in पर अपलोड करने हेतु।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के लिए PRCP (Post Retirement Complementary Pass) /WIDOW पास

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) द्वारा विकसित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के ई-पास मॉड्यूल के तहत भारतीय रेलवे में सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के लिए ई-पास सुविधा शुरू की गई है। अब तक, सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं को पास जारी करने की प्रक्रिया मैन्युअल रूप में होती थी और सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के लिए पास पर ऑन लाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा नहीं थी। इस सुविधा के साथ, रेलवे सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना होगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना होगा। अब, सेवा निवृत्त कर्मचारियों/विधवा कहीं से भी ऑनलाइन पास जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन, आवेदन और पास जारी करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल अनुकूल है। PRS/UTS काउंटर से काउंटर बुकिंग की पूर्व सुविधा के अलावा IRCTC साइट पर भी टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है।

HRMS APP में रजिस्टर कैसे करें और ई-पास कैसे प्राप्त करें

1. भारतीय रेलवे की HRMS वेबसाइट <https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/> पर जाएं।
2. रिटाईर्ड एंप्लायी मोबाइल चेंज पर क्लिक करें।
3. मोबाइल चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म (Mobile Change Request form) को डाउनलोड करें।
4. 14 डिजिट का PPO नंबर (****-****-****-**), जन्मतिथि, नाम भरकर 'गो' बटन पर क्लिक करें।
5. HRMS/Login ID (6 डिजिट), कर्मचारी का नाम, पद नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त होगा।
6. उसके बाद चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, नया मोबाइल नंबर, वर्कशॉप का नाम, कोई भी फोटो आई डी प्रूफ व मोबाइल चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म उपलोड करके सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
7. रिक्वेस्ट फॉर्म सब्मिट होने पर पास क्लर्क अपने HRMS ID से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ विधवाओं का मोबाइल न0 चेंज रिक्वेस्ट को स्वीकृत करेगा। स्वीकृत करते ही आपके मोबाइल पर इसका कन्फर्मेशन संदेश प्राप्त होगा।
8. उसके बाद पास क्लर्क सेवानिवृत्त डेटा एंट्री TAB में सेवानिवृत्त कर्मचारी का PPO No दर्ज करके सभी डेटा को भरेगा, तथा पूर्व जारी किए गये पास की कॉपी व मनुअल लिए गये पास की संख्या को अंकित कर सब्मित करेगा।
9. इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक मेसेज उसके मोबाइल न0 पर जाएगा की आपका डेटा पास क्लर्क (नाम तथा मोबाइल न0) ने दर्ज कर दिया है। अब आप HRMS वेबसाइट <https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/> पर अपना 06 डिजिट का HRMS ID तथा पहले से बाई डिफॉल्ट पासवर्ड **Test@123** व मोबाइल पर प्राप्त OTP डालकर अपने पास डेटा को अपने पास की घोषणा के आंकड़ों (यानी अपने पास खाते में पास की पात्रता, लिए गए पास और शेष उपलब्ध पास) की जांच करें जो मॅन्युअल रूप से पास क्लर्क द्वारा दर्ज किया गया है। या तो वेरिफाइ TAB से कन्फर्म करें (यदि डेटा सही है) या रिटर्न टू क्लर्क (यदि कोई संशोधन है)।
10. कर्मचारी डेटा को कन्फर्म करेगा ये डेटा पास इश्यूयिंग अधिकारी (PIA) को जाएगा, जैसे ही पास जारी करने वाला अधिकारी आपके पास डेटा को कन्फर्म करेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक मेसेज उसके मोबाइल न0 पर जाएगा की कर्मचारी अपना HRMS ID से Login करके अपना पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1. 'पास' टैब पर जाएं।
2. 'पास सेट लिस्ट' टैब पर जाएं।
3. पास का प्रकार चुनें: सुविधा (PRCP/WIDOW) चुनें तथा 'गो' बटन पर क्लिक करें।
4. उपलब्ध-पूर्ण सेट-गिनती/ आधा सेट- गिनती पर क्लिक करें।
5. 'नया एप्लिकेशन' पर क्लिक करें।
6. यात्रा विवरण भरें और परिवार के सदस्यों को पास में शामिल करने के लिए चुनें।
7. विवरणों को रखने के लिए 'सेव एज ड्राफ्ट' पर क्लिक करें और आगे की स्वीकृति के लिए पास क्लर्क के पास आवेदन को अग्रेषित करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
8. पास आवेदन सबमिट करने पर, एक एसएमएस कर्मचारी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और उनके PIA (Pass Issuing Authority) को भेजा जाता है।
9. PIA के द्वारा पास आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात आपको पास इश्यू होने का मेसेज आपके रजिस्टर मोबाइल न० पर प्राप्त होगा।
10. बर्थ के पात्रता की जांच करने के लिए 'चेक बर्थ/ सीट एनटाइटलमेंट' पर क्लिक करें।

ई-पास के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. ई-पास मॉड्यूल 26.11.2020 से शुरू की गई है।
2. मैनुअल/ भौतिक पास दिनांक 30.03.2021 तक जारी किए जाएंगे।
3. दिनांक 01.04.2021 से, PRCP/WIDOW Pass केवल डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे।
4. दिनांक 30.03.2021 तक जारी मैनुअल पास, जारी करने की तारीख से 5 महीने के लिए वैध होंगे।